प्रश्नपत्र 1 : वित्तीय प्रतिवेदन
(PAPER 1 : FINANCIAL REPORTING)

प्रश्न सं. 1 अनिवार्य है

उम्मीदवार शेष **छः** प्रश्नों में से किन्हीं **पाँच** प्रश्नों के उत्तर देवें।

जहाँ आवश्यक हो, उपयुक्त मान्यताएँ बनाई जा सकती हैं तथा टिप्पणी के माध्यम से प्रकट किया जायेगा।

प्रश्न 1

(अ) निम्नलिखित सूचना से, 31 मार्च 2015 को स्कन्ध का मूल्य ज्ञात करें :

कच्चे माल को ₹ 125 प्रति किग्रा खरीदा गया है। कच्चे माल के मूल्य में कमी आ रही है। निर्मित माल कच्चे माल से निर्मित हो रहा है को लागत से भी कम मूल्य पर बेचा जा रहा है के साथ निर्मित किया जा रहा है। कच्चे माल से कम का रहतिया 15,000 किग्रा है तथा कच्चे माल की प्रतिस्थापन लागत ₹ 100 प्रति किग्रा है।

निर्मित माल की प्रति किग्रा लागत निम्न है :

	₹ प्रति किलो
सामग्री लागत	125
प्रत्यक्ष मजदूरी लागत	20
प्रत्यक्ष परिवर्तनशील उत्पादन उपरिव्यय	10

स्थायी उत्पादन उपरिव्यय वर्ष के लिये उत्पादन की 1,00,000 किग्रा की सामान्य क्षमता के लिये ₹ 10 लाख है। वर्ष के अन्त पर जहाँ निर्मित माल का 2,000 किग्रा रहतिये में है। निर्मित माल की शुद्ध वसूली मूल्य ₹ 140 प्रति किग्रा है।

(ब) SMC लिमिटेड का एक संयंत्र (परिसम्पत्ति) है जिसका 1-10-2012* पर धारित मूल्य ₹ 38,000 लाख है तथा संयंत्र का उपयोगी जीवनकाल 31-3-2020 तक है। अनुमानित अवशिष्ट मूल्य ₹ 900 लाख है। 31 मार्च 2015 पर विक्रय मूल्य ₹ 20,000 लाख अपेक्षित है तथा निपटान की लागत ₹ 100 लाख अपेक्षित है।

अनुमानित नकद प्रवाह संयंत्र से निम्न है :

वित्तीय वर्ष	नकद प्रवाह
2015-16	4,100
2016-17	5,900
2017-18	6,000
2018-19	7,800
2019-20	4,500

© The Institute of Chartered Accountants of India

कम्पनी 10% की बट्टा दर की अपेक्षा कर रही है 10% बट्टा कारक 1, 2, 3, 4 तथा 5 वर्षों के लिये 0.909, 0.826, 0.751, 0.683 तथा 0.621 क्रमशः है। कम्पनी सीधी रेखा पद्धति पर मूल्य ह्रास प्रदान करती है। आपसे 31-3-2015 के अनुसार निर्धारण अपेक्षित है :

(i) संयंत्र के उपयोग का मूल्य

(ii) दुर्बलता हानि, यदि कोई हो

(iii) 31 मार्च 2015 को समाप्त हुये वित्तीय वर्ष के लिये संशोधित धारण मूल्य

*1-10-2012 को परिसम्पत्ति के धारण मूल्य को 1-10-2012 को परिसम्पत्ति की लागत के रूप में पढ़ें।

(स) एक कम्पनी वापसी के अधिकार के साथ वस्तुओं का विक्रय करती है। निम्नलिखित पद्धति का अवलोकन किया गया :

वापसी की समय सीमा क्रय की तिथि से	संचयी विक्रय का %
10 दिन के अन्दर	5%
11 दिन तथा 20 दिन के अन्दर	7%
21 दिन तथा 30 दिन के अन्दर	8%
31 दिन तथा 45 दिन के अन्दर	9%

कम्पनी ने फरवरी 2015 के माह में ₹ 30 लाख तथा मार्च 2015 के माह में ₹ 36 लाख का विक्रय किया। वित्तीय वर्ष के लिये कुल विक्रय ₹ 450 लाख तथा विक्रय की लागत ₹ 360 लाख थी।

लेखांकन मानक 9 के अनुसार बनाये जाने वाले प्रावधान की राशि तथा आय मान्यता निर्धारित करें। एक वर्ष में 360 दिन माने गये हैं।

(द) सौरव लिमिटेड ने 30 सितम्बर 2014 को समाप्त 2^{nd} त्रिमाही के लिए ₹ 8 लाख का कर पूर्व लाभ प्रतिवेदित किया।

पूछताछ पर, निम्नलिखित मुद्दों को देखा गया :

(i) पूरे वर्ष के लिए तिमाही के दौरान ₹ 60,000 का संपत्ति कर के भुगतान को पूर्ण मान्यता दी।

(ii) ₹ 15 लाख का $1/5^{th}$ विपणन प्रचार व्यय 23 सितम्बर 2014 को व्यय किये वर्ष के गत तिमाही में उच्च विक्रय के गत अनुभव के आधार पर मान्यता दी।

(iii) व्यवसाय प्रखण्ड के निपटान पर किये ₹ 2 लाख की हानि का 50% इस तिमाही में आबंटित किया।

(iv) रहतिये के मूल्यांकन की पद्धति में परिवर्तन के परिणामस्वरूप ₹ 3 लाख की संचयी हानि को 2^{nd} तिमाही में मान्यता दी, जिसमें से ₹ 2 लाख पहले के तिमाही से सम्बन्धित हैं।

© The Institute of Chartered Accountants of India

(v) 1st तिमाही में निवेश के विक्रय से ₹ 15 लाख के लाभ को पूरे वर्ष में समान रूप से विभाजित किया।

आपसे अपेक्षित है कि लेखांकन मानक 25 अन्तरिम वित्तीय प्रतिवेदन द्वारा उचित उपचार दीजिये तथा 2nd तिमाही के लिये कर पूर्व लाभ समायोजन के बाद ज्ञात कीजिए।

(4×5=20 अंक)

उत्तर

(अ) लेखामानक 2 (संशोधित) 'मालसूचियों का मूल्यांकन' के अनुसार मालसूचियों के उत्पादन में प्रयोग किए जाने के लिए धारित सामग्रियों और अन्य आपूर्तियों का ह्रासित मूल्य उनकी लागत से कम नहीं रखा जाता है, यदि उन तैयार उत्पादों को उस मूल्य पर या उससे अधिक मूल्य पर बेचे जाने की संभावना हो, जिनमें उन्हें समाविष्ट किया जाएगा। तथापि, यदि सामग्रियों के मूल्य का ह्रास हो गया हो और यह अनुमान हो कि तैयार उत्पादों की लागत वसूली योग्य निवल मूल्य से अधिक होगी, तो उन सामग्रियों का ह्रासित मूल्य वसूलीयोग्य निवल मूल्य के अनुरूप रखा जाता है। इन परिस्थितियों में उन सामग्रियों की प्रतिस्थापन लागत ही उनके वसूली योग्य निवल मूल्य का उपलब्ध सर्वोत्तम मापन होगी।

निर्मित माल की प्रति किग्रा लागत की गणना निम्न है :

	₹
सामग्री लागत	125
प्रत्यक्ष मजदूरी लागत	20
प्रत्यक्ष परिवर्तनशील उत्पादन उपरिव्यय	10
स्थायी उत्पादन उपरिव्यय ₹ $\left(\frac{10,00,000}{1,00,000}\right)$ किग्रा	10
निर्मित माल की लागत प्रति इकाई	165

निर्मित माल का शुद्ध वसूली मूल्य = ₹ 140 प्रति किग्रा

निर्मित माल के रहतिये का मूल्य = निर्मित माल की लागत अथवा शुद्ध वसूली मूल्य, दोनों में से जो कम हो

इसलिये, वर्ष अन्त पर रहतिये के रूप में धारित 2,000 किग्रा के निर्मित माल का मूल्य

= ₹ 2,80,000 (2,000 किग्रा × ₹140)

क्योंकि निर्मित माल की लागत शुद्ध वसूली मूल्य से ज्यादा है, कच्चे माल को प्रतिस्थापन लागत पर मूल्यांकित किया जायेगा।

रहतिये के रूप में धारित कच्चे माल का मूल्य

= 15,000 किग्रा × ₹ 100 = ₹ 15,00,000

© The Institute of Chartered Accountants of India

(ब) (i) उपयोग में मूल्य की गणना

वर्ष	नकद प्रवाह	10 %@ बट्टा	बट्टाकृत नकद प्रवाह
2015-16	4,100	0.909	3,726.90
2016-17	5,900	0.826	4,873.40
2017-18	6000	0.751	4,506.00
2018-19	7,800	0.683	5,327.40
2019-20	4,500	0.621	2,794.50
	(अवशिष्ट मूल्य) 900	0.621	558.90
			21,787.10

(ii) 31.3.2015 को दुर्बलता हानि

धारित राशि की गणना :

वास्तविक लागत = ₹ 38,000 लाख

2.5 वर्ष के लिये मूल्य ह्रास $= \left[\left(\frac{38,000-900}{7.5}\times 2.5\right)\right]$

= ₹ 12,366.67 लाख

31 मार्च, 2015 को धारित राशि = (38,000 – 12,366.67)

= ₹ 25,633.33 लाख

शुद्ध विक्रय मूल्य = विक्रय मूल्य – निपटान की लागत

= ₹ 20,000 लाख – ₹ 100 लाख

= 19,900 लाख

वसूली योग्य राशि = उपयोग के मूल्य तथा शुद्ध विक्रय मूल्य में से अधिक अर्थात् ₹ 21,787.10 लाख

दुर्बलता हानि = ₹ 25633.33 – ₹ 21787.10

= ₹ 3,846.23 लाख

(iii) पुनर्रक्षित धारण राशि = ₹ 21,787.10 लाख

टिप्पणी : 1.10.2012 को सम्पत्ति की धारित राशि को सम्पत्ति की लागत माना जाता है तथा यह माना गया है कि सम्पत्ति को इसी तिथि पर क्रय किया।

(स) राजस्व की मान्यता के लिए लेखांकन उपचार :

वस्तुओं के विक्रय के सम्बन्ध में राजस्व को विक्रय के समय पूरी तरह से मान्यता देते हैं यह मानते हुए कि कम्पनी ने वस्तुओं के विक्रय के मामले में राजस्व की मान्यता से

© The Institute of Chartered Accountants of India

सम्बन्धित लेखामानक 9 में दी गई शर्तों का पालन किया। लेखामानक 9 यह भी प्रदान करता है कि 'धन वापसी' की गारंटी की प्रस्तावित फुटकर विक्रय के मामले में, यदि पूर्णतया संतुष्ट नहीं, यह विक्रय को मान्यता देने के लिये उपयुक्त हो सकता है लेकिन गत अनुभव पर आधारित वापसी के लिये उपयुक्त प्रावधान बनाया जायेगा।

फलस्वरूप फरवरी के माह में तथा मार्च 2015 के माह में ₹ 30,00,000 तथा ₹ 36,00,000 के विक्रय को पूर्ण मूल्य पर मान्यता दी जायेगी।

प्रावधान की राशि

वस्तुओं को वापसी के अधिकार के साथ बेचा जाता है। ऐसे अधिकार के अस्तित्व लेखामानक 29 'प्रावधान, संदिग्ध दायित्व तथा संदिग्ध सम्पत्ति' के अनुसार कम्पनी पर वर्तमान दायित्व उत्पन्न होता है। मानक के अनुसार, एक प्रावधान आर्थिक चिट्ठा तिथि पर, आर्थिक चिट्ठा तिथि के बाद विक्रय वापसी के लिए, अनुमानित हानि का अच्छा अनुमान, वापसी माल की अनुमानित पुनः बिक्री से आवश्यक होगा, वृद्धिशील लागत के साथ, उत्पन्न किया जायेगा।

यह माना जायेगा कि विक्रय महीने में समान रूप से की गई है तथा प्रत्येक माह प्रश्न में दी गई सूचना पर आधारित 30 दिन का है अर्थात् एक वर्ष 360 दिन का है।

विक्रय दौरान	विक्रय मूल्य (₹ लाख में)	विक्रय मूल्य (संचयी) (₹ लाख में)	संभवतया वापसी (%)	संभवतया वापसी (₹ लाख में)	प्रावधान @ 20% (₹ लाख में) (संदर्भ कार्य टिप्पणी)
मार्च के अन्तिम 10 दिन	36/3 अथवा 12	12	5%	0.600	0.120
मार्च के पूर्व 10 दिन	36/3 अथवा 12	24	7%	1.680	0.336
मार्च के पूर्व 10 दिन	36/3 अथवा 12	36	8%	2.880	0.576
फरवरी के अन्तिम 15 दिन	30/2 अथवा 15	51	9%	4.590	0.918
कुल				9.75	1.950

कार्यकारी टिप्पणी :

विक्रय पर % लाभ की गणना

	(₹ लाख में)
विक्रय वर्ष के लिये	450
घटायें : विक्रय की लागत	(360)

© The Institute of Chartered Accountants of India

लाभ विक्रय पर लाभ मार्क अप (90 / 450) × 100 = 20%	90

टिप्पणी : उपर्युक्त समाधान प्रश्न में दिए गए तथ्य पर आधारित है।

कॉलम 1 का शीर्षक "क्रय की तिथि से विक्रय वापसी की समयसीमा"। तथापि कॉलम 1 में चार में से तीन पंक्तियों में दी गई समय सीमा क्रय की तिथि से नहीं लेकिन पिछले सीमा के पास होने के बाद की तिथि से माना है। अतिरिक्त, कॉलम 2 का शीर्षक "संचयी विक्रय का %" है। तथापि, वे अकेले अपनी सीमा पिछली सीमा के अन्त के बाद तिथि से शुरू करते हैं। दो डाटा सेट, जो एक–दूसरे के साथ लाइन में बिल्कुल नहीं हैं, के प्रावधानों की राशि के वैकल्पिक अभिकलन को जन्म दे सकता है।

वैकल्पिक, लेखामानक 9 प्रदान करता है कि राजस्व को मान्यता नहीं दी जायेगी जब तक वस्तुओं को क्रेता द्वारा औपचारिक रूप से स्वीकार नहीं किया जाता अथवा क्रेता लेन-देन को स्वीकृत करने के लिए कार्य किया जाता है अथवा अस्वीकृति के लिये समय अवधि समाप्त हो चुकी है अथवा जहाँ कोई समय निश्चित नहीं है, एक उचित समय समाप्त हो चुका है। इस पर आधारित, एक वैकल्पिक दृष्टिकोण ले सकते हैं जहाँ राजस्व को पूरी तरह से मान्यता नहीं दी जायेगी। ऐसे मामले में पुनर्रक्षित विक्रय निम्न होगा :

		(₹ लाख में)
पुनर्रक्षित विक्रय जहाँ अनुमानित विक्रय वापसी 9.75 लाख है	450 – 9.75	440.25
पुनर्रक्षित विक्रय की लागत	440.25 × 80%	352.20
पुनर्रक्षित सकल लाभ		88.05
दिया गया सकल लाभ		90
सकल लाभ में कमी		1.95
प्राप्य तथा विक्रय में कमी		9.75
स्कन्ध में बढ़ोत्तरी होगी		7.80

(द) लेखामानक 25 "अन्तरिम वित्तीय प्रतिवेदन" पैरा 36 के अनुसार, ऐसे राजस्व तथा लागत जिसे किसी वित्तीय वर्ष में मौसमी या यदाकदा से प्राप्त किया जाता है तो उसे अन्तरिम तिथि के राजस्व के जैसे आस्थगित नही किया जाना चाहिए जब तक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर प्रत्याशा उपयुक्त होता है। इसलिये, 1st तिमाही में व्यावसायिक प्रखण्ड के निपटान पर हानि तथा निवेश की बिक्री पर लाभ को केवल 1st तिमाही में मान्यता दी जायेगी। समरूप, 2nd तिमाही में विपणन प्रचार व्यय को केवल 2nd तिमाही में मान्यता दी जायेगी जब तक यह व्यय सिर्फ एक बार व अवसर पर होते हैं।

अतिरिक्त, मानक के अनुसार, यदि यहाँ चालू वित्तीय वर्ष में लेखांकन नीति में परिवर्तन होता है, तब ऐसे परिवर्तन को चालू वित्तीय वर्ष के पूर्व अन्तरिम अवधि के वित्तीय विवरण को वापस वक्तव्य द्वारा पूर्वगामी लागू होगा।

© The Institute of Chartered Accountants of India

तद्नुसार, स्कन्ध मूल्यांकन की विधि में परिवर्तन लेखांकन नीति में परिवर्तन है। इसलिये, पूर्व अन्तरिम अवधि के वित्तीय विवरण को मूल्यांकन की विधि में परिवर्तन पूर्वगामी लागू हुये वापस बनाये जायेंगे। एक व्यय अर्थात् सम्पत्ति कर पूरे वर्ष से सम्बन्धित को समय आधार पर आंवटित किया जायेगा।

तद्नुसार, समायोजित कर पूर्व लाभ 2^{nd} तिमाही के लिये निम्न होगा :

द्वितीय तिमाही के लिए समायोजित कर पूर्व लाभ/हानि दर्शाता विवरण

	(₹लाख में)
कर पूर्व लाभ (प्रतिवेदित के अनुसार)	8.00
जोड़ें : सम्पत्ति कर वार्षिक प्रभार के रूप में सभी तिमाही पर आबंटित	0.45
संचयी हानि स्कन्ध मूल्यांकन की विधि में परिवर्तन होने के कारण भूतप्रभावी लागू होगी तथा केवल एक तिमाही पर प्रभारित नही होगी। (3 – 1) लाख	2
	10.45
घटायें : विक्रय प्रचार व्यय (₹ 15 लाख का 4/5)	(12)
व्यावसायिक प्रखण्ड की निपटान पर हानि (2–1)	(1)
निवेश के विक्रय पर लाभ (कभी कभी लाभ को पूरे वर्ष पर आबंटित नही किया जायेगा।) $\left(\frac{15}{4}\times 1\right)$	(3.75)
2^{nd} तिमाही के लिये समायोजित हानि	(6.30)

टिप्पणी : उपर्युक्त समाधान इस मान्यता पर आधारित है कि व्यावसायिक प्रखण्ड के निपटान की हानि 2^{nd} तिमाही में किए गये तथा केवल इसका 50% तिमाही में आबंटित किया। फलस्वरूप, पूरी हानि को 2^{nd} तिमाही में प्रतिवेदित किया जायेगा।

हालांकि मामले में यह माना गया है कि व्यावसायिक प्रखण्ड के निपटान की हानि 1^{st} तिमाही में किये गये हैं तथा इसका 50% 2^{nd} तिमाही में आबंटित किया, व्यावसायिक प्रखण्ड के निपटान पर हानि के आबंटन को वापसी जोड़ा जायेगा तथा 2^{nd} तिमाही के लिये समायोजित हानि ₹ 6.30 लाख की जगह ₹ 4.30 लाख होगी।

प्रश्न 2

एक्स वाई लिमिटेड को ₹ 10 प्रति के ₹ 70 लाख समता अंश तथा ₹ 100 प्रति के ₹ 4 लाख अधिमानी अंश की अधिकृत राशि के साथ निर्गमित किया गया। अभिदाता ने सीमानियम के लिये अभिदत्त किये तथा 1 लाख समता अंशों के लिये भुगतान किया। निर्गमन के लिये व्यय ₹ 8.09 लाख राशि तक किये।

एक्स वाई लिमिटेड 1 अप्रैल 2015* को एक्स लिमिटेड तथा वाई लिमिटेड के साथ संविलयन चाहती है। निम्नलिखित सूचना उपलब्ध है :

© The Institute of Chartered Accountants of India

31 मार्च 2015 के अनुसार आर्थिक चिट्ठा

		(₹ लाख में)
	एक्स लिमिटेड	वाई लिमिटेड
दायित्व		
समता अंश (अंकित मूल्य ₹ 100)	750	725
10% अधिमानी अंश (अंकित मूल्य ₹ 100)	420	180
संचय एवं आधिक्य		
पुनर्मूल्यांकन संचय	125	75
पूँजी संचय	270	190
वैधानिक संचय	60	40
लाभ एवं हानि खाता	35	12
ऋण कोष		
सुरक्षित ऋण		
12.5 ऋणपत्र (अंकित मूल्य ₹ 100)	50	28
असुरक्षित ऋण	25	0
चालू दायित्व		
व्यापारिक देय	165	75
कुल	**1,900**	**1,325**
सम्पत्तियाँ		
स्थायी सम्पत्तियाँ		
भूमि एवं भवन	470	290
संयन्त्र व मशीनरी	310	210
निवेश	75	50
चालू सम्पत्ति		
व्यापारिक प्राप्य	345	270
स्कन्ध	345	254
नकद व नकद तुल्य	355	251
कुल	**1,900**	**1,325**

संविलयन से पूर्व, एक्स लिमिटेड तथा वाई लिमिटेड ने अपने आर्थिक चिट्ठे में निम्नलिखित समायोजन किये होंगे :

(i) असुरक्षित ऋण का भुगतान किया।

© The Institute of Chartered Accountants of India

(ii) एक्स लिमिटेड़ ने अपनी भूमि व भवन का पुनर्मूल्यांकन पुस्तकीय मूल्यों में 10% वृद्धि द्वारा किया तथा वाई लिमिटेड ने भूमि व भवन को ₹ 330 लाख पर पुनर्मूल्यांकन किया जायेगा।

(iii) वाई लिमिटेड द्वारा अपने संयंत्र व मशीनरी का ₹ 220 लाख पर पुनर्मूल्यांकन किया जायेगा।

(iv) निवेश को समाप्त किया जायेगा। एक्स लिमिटेड ने अपने निवेश को ₹ 67 लाख के लिये विक्रय किया तथा वाई लिमिटेड ने ₹ 52 लाख के लिये निस्तारण किया।

(v) एक्स लिमिटेड तथा वाई लिमिटेड के ऋणपत्रधारकों को एक्स वाई लिमिटेड द्वारा ₹ 100 प्रत्येक के इसके 15% ऋणपत्रों को जारी करते हुए निकाल दिए गए हैं जिससे ब्याज की उसी राशि को बनाए रखा जा सके।

(vi) एक्स लिमिटेड तथा वाई लिमिटेड के अधिमानी अंशधारकों को एक्स वाई लिमिटेड में 15% अधिमानी अंश 2 : 3 के अनुपात में जारी किये अर्थात् प्रति 3 अंश धारण के लिये 2 अंश ₹ 25 के प्रीमियम पर निर्गमित किये।

(vii) एक्स वाई लिमिटेड में समता अंशों का निर्गमन निम्न प्रकार किया जायेगा :

(अ) एक्स लिमिटेड के शेयरधारकों 4 : 1 के अनुपात में ₹ 35 प्रति शेयर पर; तथा

(ब) वाई लिमिटेड के शेयरधारकों 3 : 1 के अनुपात में ₹ 32 प्रति शेयर पर

(viii) वैधानिक संचय को इसके उद्देश्यों के लिये पूँजी संचय के साथ सम्मिलित किया।

कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III खातों पर टिप्पणी के साथ के अनुसार 31 मार्च 2015 को एक्स वाई लिमिटेड का समामेलिन आर्थिक चिट्ठा तैयार करें। (16 अंक)

***1 अप्रैल 2015 को 31 मार्च 2015 पढ़ें।**

उत्तर

एक्स वाई लिमिटेड का आर्थिक चिट्ठा

(31 मार्च, 2015 के अनुसार)

विवरण		टिप्पणी संख्या	₹ लाख में
I.	**समता तथा दायित्व**		
(1)	शेयरधारक कोष		
	(अ) अंश पूँजी	1	927.50
	(ब) संचय एवं आधिक्य	2	2,060.41
(2)	गैर-चालू दायित्व		
	दीर्घकालीन उधार	3	65.00
(3)	चालू दायित्व		
	व्यापारिक देय	4	240.00
कुल			3,292.91

© The Institute of Chartered Accountants of India

II.	**सम्पत्ति**		
(1)	गैर-चालू सम्पत्ति		
	(अ) स्थायी सम्पत्तियाँ		
	(ब) मूर्त सम्पत्तियाँ	5	1,377.00
(2)	चालू सम्पत्तियाँ		
	(अ) स्कन्ध	6	599.00
	(ब) व्यापारिक प्राप्य	7	615.00
	(स) नकद व नकद तुल्य	8	701.91
कुल			3,292.91

खातों पर टिप्पणियाँ

		(₹ लाख में)	(₹ लाख में)
1.	**अंश पूँजी**		
	अधिकृत अंश पूँजी		
	70 लाख समता अंश @ ₹ 10 प्रति		700
	4 लाख 15% अधिमानी अंश @ ₹ 100 प्रति		400
			1,100
	निर्गमित अंश पूँजी		
	52.75 लाख समता अंश ₹ 10 का प्रत्येक	527.50	
	4 लाख 15% अधिमानी अंश ₹ 100 का प्रत्येक	400.00	927.50
	(उपर्युक्त 52.75 लाख समता अंश तथा 4 लाख अधिमानी अंश नकद के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के निर्गमित किये)		
2.	**संचय तथा आधिक्य**		
	पूँजी संचय (कार्यकारी टिप्पणी 1)	740.00	
	प्रतिभूति प्रीमियम (कार्यकारी टिप्पणी 5)	1,328.50	
	लाभ एवं हानि खाता (निर्गमन व्यय)	(8.09)	2,060.41
3.	**दीर्घकालीन उधार**		
	15 % ऋणपत्र ₹ 100 का प्रत्येक		
	एक्स लिमिटेड	41.67	
	वाई लिमिटेड	23.33	65.00

© The Institute of Chartered Accountants of India

4.	**व्यापारिक देय**		
	एक्स लिमिटेड	165.00	
	वाई लिमिटेड	75.00	240.00
5.	**मूर्त सम्पत्ति**		
	भूमि व भवन		
	एक्स लिमिटेड	517.00	
	वाई लिमिटेड	330.00	847.00
	संयत्र व मशीनरी		
	एक्स लिमिटेड	310.00	
	वाई लिमिटेड	220.00	530.00
			1377.00
6.	**स्कन्ध**		
	एक्स लिमिटेड	345.00	
	वाई लिमिटेड	254.00	599.00
7.	**व्यापारिक प्राप्य**		
	एक्स लिमिटेड	345.00	
	वाई लिमिटेड	270.00	615.00
8.	**नकद व नकद तुल्य**		
	एक्स लिमिटेड (कार्यकारी टिप्पणी 2)	397.00	
	वाई लिमिटेड (कार्यकारी टिप्पणी 2)	303.00	700.00
	एक्स वाई लिमिटेड		
	स्वीकृत अंशों से प्राप्ति	10.00	
	घटायें : निर्गमन व्यय भुगतान	(8.09)	1.91
			701.91

टिप्पणी : लेखांकन मानक 26 के अनुसार निर्गमन व्यय को लाभ एवं हानि खाते में जिस वर्ष किए गए उस वर्ष में प्रभारित किया। तदनुसार, निर्गमन व्यय के लिए उपचार किया गया।

© The Institute of Chartered Accountants of India

कार्यकारी टिप्पणी :

1. संविलयन पर पूँजी संचय की गणना

			(₹ लाख में)	
		एक्स लिमिटेड		वाई लिमिटेड
अधिग्रहित सम्पत्ति				
भूमि व भवन	(470 × 110%)	517		330
संयत्र व मशीनरी		310		220
स्कन्ध		345		254
व्यापारिक प्राप्य		345		270
नकद व बैंक (कार्यकारी टिप्पणी 2)		397		303
		1,914		1,377
घटाये : ली गई दायित्व				
13% ऋणपत्र (कार्यकारी टिप्पणी 3)	41.67		23.33	
व्यापारिक देय	165.00	(206.67)	75.00	(98.33)
ली गई शुद्ध सम्पत्ति		1,707.33		1,278.67
घटाये : क्रय प्रतिफल (कार्यकारी टिप्पणी 4)		(1,400)		(846)
पूँजी संचय		307.33		432.67

कुल पूँजी संचय (307.33 + 432.67) = ₹ 740.00 लाख

2. नकद व नकद तुल्य की गणना

	एक्स लिमिटेड ₹ लाख में	वाई लिमिटेड ₹ लाख में
आर्थिक चिट्ठे के अनुसार शेष	355.00	251.00
घटाये : असुरक्षित ऋण का भुगतान	(25.00)	-
जोड़े : निवेश की बिक्री से प्राप्ति	67.00	52.00
	397.00	303.00

© The Institute of Chartered Accountants of India

3. एक्स वाई लिमिटेड द्वारा 15% निर्गमित ऋणपत्र की गणना

	एक्स लिमिटेड ₹ लाख में	वाई लिमिटेड ₹ लाख में
$50 \times \frac{12.5}{15}$	41.67	
$28 \times \frac{12.5}{15}$		23.33

4. क्रय प्रतिफल की गणना (भुगतान आधार पर)

		(₹ लाख में)	
		एक्स लिमिटेड	वाई लिमिटेड
(1)	15% अधिमानी अंश		
	(4.20 / 3) × 2 = 2.80 लाख अंश @ ₹ 125 प्रति	350	
	(1.80 / 3) × 2 = 1.20 लाख अंश @ ₹ 125 प्रति		150
(2)	समता अंश		
	(4 × 7,50,000) = 30,00,000 समता अंश @ ₹ 35 प्रति	1,050	
	(3 × 7,25,000) = 21,75,000 समता अंश @ ₹ 32 प्रति		696
		1,400	846

5. प्रतिभूति प्रीमियम की गणना

	₹ लाख में
15% अधिमानी अंश ₹ 25 प्रति प्रीमियम पर निर्गमित (4 लाख × ₹ 25 प्रति)	100
समता अंश निर्गमन – एक्स लिमिटेड (30 लाख × ₹ 25 प्रति)	750
वाई लिमिटेड (21.75 लाख × ₹ 22 प्रति)	478.50
	1,328.50

प्रश्न 3

निम्नलिखित जानकारी के आधार पर खातों के लिए टिप्पणी के साथ (अप्रत्यक्ष विधि) अनुसूची III के अनुसार 31 मार्च 2015 को समेकित आर्थिक चिट्ठा तैयार करें :

© The Institute of Chartered Accountants of India

31 मार्च 2015 के अनुसार आर्थिक चिट्ठा

			(₹ लाख में)
दायित्व	**पी**	**क्यू**	**आर**
अंश पूँजी			
समता अंश पूँजी (अंकित मूल्य ₹ 100)	600	400	100
संचय एवं आधिक्य			
संचय	40	10	20
लाभ एवं हानि खाते में आधिक्य	60	40	30
चालू दायित्व			
व्यापारिक देय	30	10	35
अन्य देय			
क्यू लिमिटेड			15
आर लिमिटेड	50	-	-
कुल	**780**	**460**	**200**
			(₹ लाख में)
सम्पत्ति	**पी**	**क्यू**	**टार**
स्थायी सम्पत्तियाँ (मूल्यह्रास के शुद्ध)	230	150	100
निवेश			
क्यू लिमिटेड	320		
आर लिमिटेड	40	100	
चालू सम्पत्तियाँ			
स्कन्ध	50	30	40
व्यापारिक प्राप्य	60	50	20
अन्य प्राप्य			
आर लिमिटेड		40	
पी लिमिटेड			30
बैंक शेष	80	90	10
कुल	**780**	**460**	**200**

© The Institute of Chartered Accountants of India

अतिरिक्त सूचनाएँ :

(अ) पी लिमिटेड ने क्यू लिमिटेड के अंशों में 1,50,000 (बोनस सहित) तथा आर लिमिटेड में 30,000 अंशों का अधिग्रहण तथा क्यू लिमिटेड ने आर लिमिटेड के 50,000 अंशों का अधिग्रहण 29 मार्च 2014* को किया।

(ब) क्यू लिमिटेड ने स्थायी 1 अप्रैल 2014 को बोनस अंशों के आबंटन के लिये रिकॉर्ड तिथि पर 1 : 1 के अनुपात में तथा आबंटित किये।

(स) पी लिमिटेड ने 31 मार्च, 2015 वर्ष अन्त के लिए 7.50% लाभांश प्रस्तावित किया।

(द) दिसम्बर 2014 में, क्यू लिमिटेड ने माल को पी लिमिटेड को ₹ 30 लाख पर लागत पर 25% लाभ के साथ बीजक बनाया। ऐसे माल का $1/3^{rd}$ पी लिमिटेड के पास वर्ष अन्त पर स्कन्ध में शामिल है।

(य) आर लिमिटेड ने क्यू लिमिटेड को 1 जनवरी 2015 पर एक सम्पत्ति ₹ 20 लाख की लागत पर विक्रय की तथा बीजक मूल्य पर 20% का लाभ प्राप्त किया। क्यू ऐसी सम्पत्ति पर 10% प्रति वर्ष मूल्य ह्रास प्रदान करती है।

(र) 31 मार्च 2014 को क्यू लिमिटेड के संचय तथा लाभ व हानि खाते में शेष क्रमशः ₹ 5 लाख तथा ₹ 15 लाख थे।

(ल) आर लिमिटेड के चालू वर्ष के दौरान ₹ 12.40 लाख का लाभ प्राप्त किया। वर्ष के दौरान, ₹ 0.55 लाख बीमा कम्पनी से बाढ़ के कारण स्कन्ध की हानि के विरुद्ध प्राप्त किये जो कि 31 मार्च 2014 में हुई जिसके माल का मूल्य ₹ 0.75 लाख का क्षतिग्रस्त हुआ तथा 31 मार्च 2014 को आर के स्कन्ध में भाग था।

(व) आर लिमिटेड, 31 मार्च 2015 वर्ष अन्त पर, एक राशि लाभ व हानि खाते से संचय में हस्तान्तरित किया जो कि आर्थिक चिट्ठे में लाभ व हानि खाते तथा संचय के रिपोर्टित कुल राशि के 20 % के बराबर है। (16 अंक)

***29 मार्च 2014 को 31 मार्च 2014 पढ़ें।**

उत्तर

पी लिमिटेड तथा इसके सहायक का समेकित तुलन–पत्र

31.3.2015 के अनुसार

विवरण	टिप्पणी संख्या	₹ लाख में
I. समता तथा दायित्व		
(1) अंशधारकों का कोष		
(अ) अंश पूँजी	1	600.00
(ब) संचय एवं आधिक्य	2	87.964
(2) अल्पमत हित (कार्यकारी टिप्पणी 6)		146.666

© The Institute of Chartered Accountants of India

	(3) चालू दायित्व		
	(अ) व्यापारिक देय	3	75.00
	(ब) अल्प अवधि प्रावधान	4	45.00
	(स) अन्य चालू दायित्व	5	20.00
कुल			974.63
II	**परिसम्पत्तियाँ**		
	(1) गैर चालू सम्पत्तियाँ		
	स्थायी सम्पत्ति		
	(अ) मूर्त सम्पत्ति	6	475.125
	(ब) अमूर्त सम्पत्ति	7	46.505
	(2) चालू सम्पत्ति		
	(अ) स्कन्ध	8	118.00
	(ब) व्यापारिक प्राप्य	9	130.00
	(स) नकद व नकद तुल्य	10	205.00
कुल			974.63

लेखों के नोट (Note to Accounts)

		₹ लाख में	₹ लाख में
1.	**अंश पूँजी**		
	₹ 100 प्रति का समता अंश		600.00
2.	**संचय एवं आधिक्य**		
	संचय (कार्यकारी टिप्पणी 8)	50.50	
	लाभ एवं हानि खाता (कार्यकारी टिप्पणी 8)	37.464	87.964
3.	**व्यापारिक देय**		
	पी लिमिटेड	30.00	
	क्यू लिमिटेड	10.00	
	आर लिमिटेड	35.00	75.00
4.	**अल्पकालीन प्रावधान**		
	प्रस्तावित लाभांश (600 × 7.5%)		45.00

© The Institute of Chartered Accountants of India

5.	**अन्य चालू दायित्व**		
	पी लिमिटेड के आर लि. को	50.00	
	अन्य देय		
	घटाये : पी लि. से आर लि. को अन्य प्राप्य	(30.00)	20.00
6.	मूर्त सम्पत्ति (सभी स्थायी सम्पत्ति को मूर्त रूप में माना)		
	पी लिमिटेड	230.00	
	क्यू लिमिटेड	150.00	
	आर लिमिटेड	100.00	
		480.00	
	घटाये : गैर–वसूल लाभ (कार्यकारी टिप्पणी 9)	(4.875)	475.125
7.	**अमूर्त सम्पत्ति**		
	ख्याति (कार्यकारी टिप्पणी 7)		46.505
8.	**स्कन्ध**		
	पी लिमिटेड	50.00	
	क्यू लिमिटेड	30.00	
	आर लिमिटेड	40.00	
		120.00	
	घटाये : गैर–वसूल लाभ	(2.00)	118.00
9.	**व्यापारिक प्राप्य**		
	पी लिमिटेड	60.00	
	क्यू लिमिटेड	50.00	
	आर लिमिटेड	20.00	130.00
10.	**नकद व नकद तुल्य**		
	मार्गस्थ नकद (कार्यकारी टिप्पणी 11)	25.00	
	बैंक शेष		
	पी लिमिटेड	80.00	
	क्यू लिमिटेड	90.00	
	आर लिमिटेड	10.00	205

© The Institute of Chartered Accountants of India

कार्यकारी टिप्पणी :

1. अंशधारण पद्धति

	अंशों की संख्या (लाख में)	धारण %
क्यू लिमिटेड में :		
पी लिमिटेड (1,50,000 + 1,50,000)	300	75 %
अल्पमत हित	100	25 %
आर लिमिटेड में :		
पी लिमिटेड	30	30 %
क्यू लिमिटेड	50	50 %
अल्पमत हित	20	20 %

2. आर लिमिटेड के अधिग्रहण पूर्व संचय की गणना

	₹ लाख में	प्रकृति
31.3.2015 पर अन्तिम शेष	20.00	उपरांत
घटाये : 2014-2015 में लाभ एवं हानि खाते में स्थानान्तरित	(10.00)	उपरांत
1.4.2014 पर प्रारम्भिक शेष	10.00	पूर्व

3. आर लिमिटेड के अधिग्रहण पूर्व लाभ एवं हानि खाते की गणना

		₹ लाख में	प्रकृति
अन्तिम शेष		30.00	
घटाये : वर्ष के दौरान अर्जित लाभ	12.40		
वापस जोड़े : गत वर्ष की हानि*	0.20	(12.60)	उपरांत
		17.40	पूर्व

फलस्वरूप क्षतिग्रस्त माल पर हानि (₹ 0.75 लाख – ₹ 0.55 लाख = ₹ 0.20 लाख) गत वर्ष से सम्बन्धित है, यह चालू वर्ष में हानि में वापस जोड़ें तथा गत वर्ष के लाभ से घटायें हैं अर्थात् पूर्व अधिग्रहण संचय।

4. आर लिमिटेड के लाभों का विश्लेषण

	अधिग्रहण पूर्व	अधिग्रहण उपरांत	
	पूँजी लाभ ₹ लाख में	राजस्व संचय ₹ लाख में	राजस्व लाभ ₹ लाख में
संचय	10.00	10.00	-
लाभ एवं हानि खाता	17.40	-	12.60
	27.40	10.00	12.60

© The Institute of Chartered Accountants of India

पी लिमिटेड (30 %)	8.22	3.00	3.78
क्यू लिमिटेड (50 %)	13.70	5.00	6.30
अल्पमत हित (20%)	5.48	2.00	2.52

5. क्यू लिमिटेड के संचय एवं आधिक्य का अप्रत्यक्ष दृष्टिकोण द्वारा विश्लेषण

	अधिग्रहण पूर्व	अधिग्रहण उपरांत	
	पूँजी लाभ ₹ लाख में	राजस्व संचय ₹ लाख में	राजस्व लाभ ₹ लाख में
संचय	5.00	5.00	--
लाभ एवं हानि खाता	15.00	--	25.00
	20.00	5.00	25.00
आर लिमिटेड में क्यू लिमिटेड के लाभ का हिस्सा	13.70	5.00	6.30
सम्पत्ति पर अवसूल लाभ का हिस्सा	-	-	(2.437)
	33.70	10.00	28.863
पी लिमिटेड (75%)	25.275	7.50	21.647
अल्पमत हित (25%)	8.425	2.50	7.216

6. अल्पमत हित

	क्यू लिमिटेड ₹ लाख में	आर लिमिटेड ₹ लाख में
अंश पूँजी	100	20
पूँजी लाभ	8.425	5.48
राजस्व लाभ : संचय	2.50	2.00
लाभ एवं हानि खाता	7.216	2.52
सम्पत्ति पर अवसूल लाभ	-	(0.975)
स्कन्ध पर अवसूल लाभ	(0.50)	-
	117.641	29.025

कुल अल्पमत हित = ₹ 117.641 + ₹ 29.025 = ₹ 146.666

© The Institute of Chartered Accountants of India

7. नियन्त्रण की लागत

	क्यू लिमिटेड में पी लिमिटेड ₹ लाख में	आर लिमिटेड में पी लिमिटेड तथा क्यू लिमिटेड ₹ लाख में
	75 %	80 %
निवेशित राशि	320	140
घटाये : अंश पूँजी	(300)	(80)
पूँजी लाभ	(25.275)	(8.22)
ख्याति / (पूंजी संचय)	5.275	51.78
शुद्ध ख्याति	46.505	

8. समेकित आर्थिक चिट्ठे में संचय तथा लाभ एवं हानि खाता शेष

	संचय ₹ लाख में	लाभ एवं हानि खाता ₹ लाख में
पी लिमिटेड की पुस्तकों में शेष	40.00	60.00
जोड़े : उपरांत अधिग्रहण लाभ में हिस्सा :		
आर लिमिटेड से	3.00	3.78
क्यू लिमिटेड से	7.50	21.647
घटाये : प्रस्तावित लाभांश		(45.00)
घटाये : स्कन्ध पर अवसूल लाभ (30 × 1/3 × 25/125 × 75%)		(1.50)
घटाये : सम्पत्ति पर अवसूल लाभ		(1.463)
	50.50	37.464

9. सम्पत्ति पर अवसूल लाभ की गणना

	₹ लाख में
सम्पत्ति का बीजक मूल्य (20/80) × 100	25.00
लागत	(20.00)
सम्पत्ति पर अवसूल लाभ	5.00
घटाये : इस पर मूल्य ह्रास (5 × 10% × 3/12)	(0.125)
आर लिमिटेड का अवसूल लाभ	4.875

© The Institute of Chartered Accountants of India

	₹ लाख में
पी लिमिटेड समेकित लाभ एवं हानि खाते में 30% तक समायोजित	1.463
क्यू लिमिटेड 50% तक समायोजित क्यू लिमिटेड के लाभों के विश्लेषण में	2.437
अल्पमत हित 20% तक समायोजित अल्पमत हित में	0.975
	4.875

10. स्कन्ध पर अवसूल लाभ की गणना

	₹ लाख में
स्कन्ध पर क्यू लिमिटेड द्वारा अर्जित लाभ (30 × 1/3 × 25/125)	2.00
स्कन्ध में समायोजित तथा इसका 75% समेकित लाभ एवं हानि खाते में समायोजित	1.50
इसका 25% अल्पमत हित में समायोजित	0.50

11. अन्तः कम्पनी स्वामित्व

	₹ लाख में
क्यू लिमिटेड को आर लिमिटेड से प्राप्त	40.00
घटाये : आर लिमिटेड के आर्थिक चिट्ठे में दर्शाए व्यापारिक देय	15.00
मार्गस्थ नकदी	25.00

प्रश्न 4

(अ) टीम लिमिटेड एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी है। यह सार्वजनिक जमा स्वीकार करती है तथा किराया–क्रय व्यवसाय में भी डील करती है। यह 31.3.2013 पर प्रमुख किराया क्रय सौदों के बारे में निम्नलिखित जानकारी आपको प्रदान करता है :

कुछ मशीनें किराया क्रय आधार पर बेची थीं। किराया क्रय मूल्य ₹ 80 लाख का नकद मूल्य की तुलना में ₹ लाख में स्थापित किया गया था। ₹ 20 लाख तत्काल भुगतान के रूप में देय थे तथा शेष 5 समान किस्त में देय था। किराया विक्रेता ने प्रथम किस्त 31-3-2014 पर प्राप्त कर ली, लेकिन द्वितीय किस्त जमा नहीं हो पाई जो 31-03-2015 को देय थी। कम्पनी 31-3-2015 को वर्ष अन्त के लिये खातों को अन्तिम रूप दे रही थी। 15-4-2015 तक, तिथि पर जिस दिन निदेशक मण्डल ने पुस्तकों पर हस्ताक्षर किये, द्वितीय किस्त एकत्र नहीं हुई। आंतरिक प्रतिफल दर 10.42% मानें।

अपेक्षित :

(i) 1-4-2014 पर मूलधन बकाया क्या होना चाहिए? क्या कम्पनी की आय के रूप में 2014-15 वर्ष के लिए वित्त प्रभार की पहचान करनी चाहिए?

© The Institute of Chartered Accountants of India

(ii) 31-3-15 पर एनबीएफसी विवेकपूर्ण मानदंडों की आवश्यकता के प्रावधान के अनुसार सम्पत्ति का शुद्ध पुस्तकीय मूल्य क्या होना चाहिए ?

(iii) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एनबीएफसी विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार बनाने वाले प्रावधान की राशि क्या होनी चाहिए?

(ब) लवली लिमिटेड ने 1 जुलाई 2014 को अपने कर्मचारियों को 6% वार्षिक रियायती ब्याज दर से, पुनर्भुगतान 5 अर्द्धवार्षिक किस्त में ब्याज सहित, ₹ 50 लाख का कर्मचारी ऋण अग्रिम दिया। प्रचलित 8% वार्षिक है।

मूल्य का पता लगायें जिस पर ऋण को आरंभिक मान्यता व इसके बंद होने तक परिशोधन की लागत दी। वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिये आवश्यक जर्नल प्रविष्टियों के साथ उचित विवरण भी दीजिए। बट्टा मूल्य 8% तथा 4% पर निम्न है :

अवधि	1	2	3	4	5
8%	0.9259	0.8573	0.7938	0.7350	0.6806
4%	0.9615	0.9246	0.8890	0.8548	0.8219

(8 + 8 = 16 अंक)

उत्तर

(अ) (i) चूँकि, किराया क्रेता ने 31.3.2014 को देय प्रथम किस्त का भुगतान किया। परिकल्पित मूलधन बकाया 1-4-2014 को ₹ 50.25 लाख था (संदर्भ कार्यकारी टिप्पणी)

31.3.2015 वर्ष के अन्त में, ₹ 16 लाख की देय किस्त प्राप्त नहीं हुई। फलस्वरूप, यह 31.3.2015 को देय थी अर्थात् आर्थिक चिट्ठा तिथि पर, तथा फलस्वरूप, यह मानक परिसम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत होगी। टीम लिमिटेड ₹ 5.24 लाख ब्याज आय में शामिल देय किस्त को वित्तीय प्रभार के रूप में मान्यता देगें।

(ii) **31.3.2015 पर परिसम्पत्तियों का शुद्ध पुस्तकीय मूल्य**

	₹ लाख में
अतिदेय किस्त	16.00
देय नहीं किस्त (₹ लाख 16 लाख x3)	48.00
	64.00
घटाये : वित्तीय प्रभार परिपक्व नहीं तथा फलस्वरूप लाभ एवं हानि खाते में क्रेडिट नहीं (4.11 + 2.88 + 1.52)	(8.51)
	55.49
घटाये : एन बी अफ सी विवेकशील नोर्म्स के पैरा 9(2) (i) के अनुसार प्रावधान (संदर्भ बिन्दु (iii))	7.49
परिसम्पत्ति का शुद्ध पुस्तकीय मूल्य	48.00

© The Institute of Chartered Accountants of India

(iii) **प्रावधान की राशि**

	₹ लाख में
अतिदेय किस्त	16.00
किस्त देय नही (₹ 16 लाख × 3)	48.00
	64.00
घटाये : वित्तीय प्रभार परिपक्व नहीं तथा फलस्वरूप लाभ एवं हानि खाते में क्रेडिट नहीं (4.11 + 2.88 + 1.52)	(8.51)
	55.49
घटाये : हासित मूल्य (नकद मूल्य घटायें मूल्य ह्रास सीधी रेखा विधि पर दो वर्ष के लिये @ 20%*)	(48.00)
एन बी अफ सी विवेकशील नॉर्म्स के अनुसार पैरा 9(2)(i) के अन्तर्गत प्रावधान	7.49

चूँकि, ₹ 16 लाख की किस्त का भुगतान नहीं किया जो 31.3.2015 को देय थी, सम्पत्ति मानक सम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत की जाएगी। फलस्वरूप, इसके लिये अतिरिक्त प्रावधान नहीं बनाया गया।

कार्यकारी टिप्पणी :

यह आवश्यक है कि किस्त को बकाया मूलधन तथा ब्याज घटक को आंतरिक प्रतिफल दर 10.42% का उपयोग करते हुये अलग करें।

समय	आरंभिक बकाया राशि (a)	नकद प्रवाह (b)	ब्याज @10.42% (c) = (a × 10.42%)	मूलधन पुनर्भुगतान (d) = (b – c)	अन्तिम बकाया (e) = (a – d)
31-3-2013		(60)	----	----	60.00
31-3-2014	60.00	16	6.25	9.75	50.25
31-3-2015	50.25	16	5.24	10.76	39.49
31-3-2016	39.49	16	4.11	11.89	27.60
31-3-2017	27.60	16	2.88	13.12	14.48
31-3-2018	14.48	16	1.52	14.48	0.00

* भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित एनबीएफसी विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार

(ब) (i) कर्मचारियों के ऋण की आरंभिक राशि की गणना

अर्द्ध वार्षिक अन्त	नकद प्रवाह		योग	वर्तमान मूल्य घटक @4%	वर्तमान मूल्य
	मूलधन	ब्याज @ 3%			
1st	10,00,000	1,50,000	11,50,000	0.9615	11,05,725

© The Institute of Chartered Accountants of India

2nd	10,00,000	1,20,000	11,20,000	0.9246	10,35,552
3rd	10,00,000	90,000	10,90,000	0.8890	9,69,010
4th	10,00,000	60,000	10,60,000	0.8548	9,06,088
5th	10,00,000	30,000	10,30,000	0.8219	8,46,557
वर्तमान मूल्य अथवा उचित मूल्य					48,62,932

(ii) कर्मचारियों के ऋण की परिशोधन लागत की गणना

वर्ष	चुकाए गए ऋण की परिशोधन लागत (आरंभिक शेष) (1)	ब्याज 4 % की दर से (2) ₹	पुनर्भुगतान (ब्याज सहित) (3) ₹	चुकाए गए ऋण की लागत (अंतिम शेष) (4) = (1) +(2) – (3) ₹
1st	48,62,932	1,94,517	11,50,000	39,07,449
2nd	39,07,449	1,56,298	11,20,000	29,43,747
3rd	29,43,747	1,17,750	10,90,000	19,71,497
4th	19,71,497	78,860	10,60,000	9,90,357
5th	9,90,357	39,643	10,30,000	शून्य

(iii) लवली लिमिटेड की पुस्तिकाओं में जर्नल प्रविष्टियाँ

2014-2015 वित्तीय वर्ष के लिये (कर्मचारियों के ऋण के सम्बन्ध में)

	Dr. राशि (₹)	Cr. राशि (₹)
कर्मचारी ऋण खाता डेबिट	50,00,000	
बैंक खाते को		50,00,000
(कर्मचारीगण को ऋण का भुगतान होने के कारण)		
कर्मचारीगण लागत खाता (50,00,000–48,62,932)डेबिट	1,37,068	
(संदर्भ भाग ii)		
कर्मचारीगण ऋण खाते को		1,37,068
(वर्तमान मूल्य से अधिक ऋण शेष को अपलिखित होने के कारण)		

© The Institute of Chartered Accountants of India

कर्मचारीगण ऋण खाता	डेबिट	1,94,517	
कर्मचारीगण ऋण खाते पर ब्याज को			1,94,517
(ऋण पर 8% की बाजार दर पर ब्याज का प्रभार होने के कारण)			
बैंक खाता	डेबिट	11,50,000	
कर्मचारीगण ऋण खाते को			11,50,000
(वर्ष में ब्याज सहित प्रथम किस्त के पुनर्भुगतान होने के कारण)			
कर्मचारीगण ऋण खाते पर ब्याज	डेबिट	1,94,517	
लाभ व हानि खाते को			1,94,517
(कर्मचारीगण ऋण ब्याज खाते में शेष का लाभ व हानि खाते को हस्तान्तरण होने के कारण)			
लाभ एवं हानि खाता	डेबिट	1,37,068	
कर्मचारी लागत लेखा			1,37,068
(स्टाफ लागत लेखा में शेष को लाभ एवं हानि खाते में स्थानान्तरित किये जाने पर)			

***लेखांकन मानक 30 'वितीय उपकरण' : 'मान्यता एवं मापन' के अनुसार प्रभावी ब्याज विधि का उपयोग करते हुये ऋण और प्राप्तियों को परिशोधित लागत पर मापा जाना चाहिये।**

प्रश्न 5

(अ) 31 मार्च 2013, 2014 तथा 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए रोज लिमिटेड के संक्षिप्त तुलन पत्र इस प्रकार हैं :

			(₹ हजार में)
	31 मार्च 2013	**31 मार्च 2014**	**31 मार्च 2015**
दायित्व			
₹ 10 का प्रत्येक 6,40,000			
इक्विटी शेयर पूर्णतः प्रदत्त	6,400	6,400	6,400
सामान्य संचय	4,800	5,600	6,400
लाभ तथा हानि खाता	560	640	960
व्यापारिक देय	2,400	3,200	4,000
कुल	**14,160**	**15,840**	**17,760**

© The Institute of Chartered Accountants of India

परिसम्पत्तियाँ			
ख्याति	4,000	3,200	2,400
मूर्त्त सम्पत्तियाँ (शुद्ध)	5,600	6,400	6,400
स्टॉक	4,000	4,800	5,600
व्यापारिक प्राप्य	80	640	1,760
नकद तथा नकद तुल्य	480	800	1,600
कुल	**14,160**	**15,840**	**17,760**

अतिरिक्त सूचना

(i) वास्तविक मूल्यांकन इस प्रकार थे :

मूर्त्त परिसम्पत्तियाँ	7,200	8,000	8,800
स्टॉक	4,800	5,600	6,400
शुद्ध लाभ (मूल्य ह्रास, साख, कर प्रावधान अपलिखित करने तथा सामान्य रिजर्व में अन्तरित करने के बाद प्रारम्भिक शेष समेत)	1,680	2,480	3,280

(ii) 2012-13 के प्रारम्भ में बाजार मूल्य पर व्यापार में नियोजित पूँजी ₹ 1,46,40,000 थी जिसमें साख की लागत भी सम्मिलित थी। रोज लिमिटेड के व्यवसाय की औसत निवेशित पूँजी पर सामान्य वार्षिक प्रतिफल 12.50% है।

(iii) 1 अप्रैल 2012 को सामान्य रिजर्व में शेष ₹ 40 लाख थे।

(iv) 31 मार्च 2013 को दर्शाये गये साख की खरीदारी ₹ 40 लाख में 1 अप्रैल 2012 को की गयी तथा 1 अप्रैल 2012 पर लाभ तथा हानि खाता में शेष ₹ 4,80,000 था।

(v) साख का अधिलाभ के 5 वर्षों की क्रय साधारण औसत विधि के उपयोग द्वारा मूल्यांकन किया जायेगा।

प्रतिवर्ष औसत निवेशित पूँजी का तथा 31 मार्च 2015 पर व्यवसाय का कुल मूल्य ज्ञात कीजिए।

(ब) Agile लिमिटेड पतलून की "R Tuff" ब्रांड की निर्माता एवं डीलर है। समय बीतने के साथ, यह ब्रांड अच्छी तरह से बाजार में स्वीकार कर लिया गया है। कम्पनी ने अपने व्यवसाय में साझेदार के रूप में शामिल करने के लिए समान व्यापार में लगी एक विदेशी कम्पनी से सम्पर्क किया गया है। Agile, अपने ब्रांड मूल्य प्राप्त करने के लिए समझौते के लिए बातचीत करना चाहता है। बाजार अनुसंधान के आधार पर निम्नलिखित जानकारी उपलब्ध है :

(i) कपड़ा उद्योग जिनमें से Agile एक घटक है, के लिये अगले पाँच वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष 9% की वृद्धि होने की उम्मीद है। उद्योग का वर्तमान बाजार आकार ₹ 7,500 करोड़ है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

(ii) जहाँ अन्य ब्रांड में राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों बाजार में हैं। नकली ब्रांड का अस्तित्व अपरिहार्य है। ऐसे खिलाड़ियों की हिस्सेदारी कुल उद्योग बाजार के 63% होने का अनुमान है। अन्य राष्ट्रीय ब्रांडों की बाजार भागीदारी अगले 5 वर्षों में वर्ष दर वर्ष आधार पर 0.25% की दर से वृद्धि होगी। अन्तर्राष्ट्रीय ब्रांडों की हिस्सेदारी राष्ट्रीय ब्रांडों के मुकाबले 1.5 गुना बढ़ने की उम्मीद है। लेकिन नकली ब्रांडों के अस्तित्व में अगले 5 वर्षों की अवधि में 2.5% की गिरावट समान रूप से है।

(iii) अपेक्षित विदेशी साझेदार कम्पनी के उत्पादन रेखा को फिर से पुनः अभियांत्रिकी की जरूरत है जो कम्पनी की प्राप्ति में वृद्धि करने का नेतृत्व वर्तमान प्राप्ति 10% के एक वर्ष के बाद 3% द्वारा उसके बाद वर्ष दर वर्ष 5% अतिरिक्त वृद्धि द्वारा करेंगे।

बाजार उन्मुख दृष्टिकोण द्वारा ब्रांड मूल्य का निर्धारण विदेशी कम्पनी के साथ बातचीत के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, बट्टा कारक 1st पाँच वर्षों के 0.909; 0.826; 0.751; 0.683 तथा 0.621 पर विचार करेंगे। (करोड़ में मौद्रिक मूल्य को अधिकतम 2 दशमलव स्थान तक उपसादन करेंगे।) (8 +8 = 16 अंक)

उत्तर :

(अ) 31.03.2015 पर व्यवसाय का कुल मूल्य

	₹ हजार में
31.03.2015 पर अन्तिम नियोजित पूँजी	16,960
घटाये : तुलन पत्र में दर्शायी साख क्रय साख के रूप में	(2400)
जोड़े : साख	8,225
व्यवसाय का कुल मूल्य	22,785

कार्यकारी टिप्पणियाँ :

1. औसत नियोजित पूँजी की गणना

	31.3.2013 ₹ हजार में	31.3.2014 ₹ हजार में	31.3.2015 ₹ हजार में
क्रय साख*	4,000	3,200	2,400
मूर्त्त परिसम्पत्तियाँ	7,200	8,000	8,800
स्टॉक	4,800	5,600	6,400
व्यापारिक प्राप्य	80	640	1,760
नकद तथा नकद तुल्य	480	800	1,600
	16,560	18,240	20,960
घटाये : व्यापारिक देय	(2,400)	(3,200)	(4,000)
अन्तिम पूँजी	14,160	15,040	16,960

© The Institute of Chartered Accountants of India

जोड़े : प्रारम्भिक नियोजित पूँजी	14,640	14,160	15,040
कुल	28,800	29,200	32,000
औसत नियोजित पूँजी	14,400	14,600	16,000

*चूँकि साख को खरीदा गया है इसलिए इसे निवेशित पूँजी के रूप में माना जाता है। फलस्वरूप, साख को अपलिखित करना असामान्य मद है, इसलिए भावी अनुरक्षणीय लाभ की गणना करते समय ध्यान नहीं रखा गया है।

2. साख का मूल्यांकन

(i) भावी अनुरक्षणीय लाभ

	31.3.2013 ₹ हजार में	**31.3.2014 ₹ हजार में**	**31.3.2015 ₹ हजार में**
भावी अनुरक्षणीय लाभ	1,680	2,480	3,280
घटाये : प्रारम्भिक लाभ	(480)	(560)	(640)
जोड़े : अन्तिम स्टॉक में वृद्धि	800	800	800
घटाये : प्रारम्भिक स्टॉक में वृद्धि	-	(800)	(800)
जोड़े : सामान्य अधिशेष में अन्तरित	800	800	800
अपलिखित साख	-	800	800
	2,800	3,520	4,240
घटाये : औसत नियोजित पूँजी पर 12.50% से सामान्य प्रतिफल	(1,800)	(1,825)	(2,000)
(ii) अधिलाभ	1,000	1,695	2,240

(iii) औसत अधिलाभ $= \left[\frac{1,000+1,695+2,240}{3}\right]$ = ₹ 1,645 हजार

(iv) पाँच वर्षों की खरीद पर **साख का मूल्यांकन**

= ₹ 1,645 हजार × 5 = ₹ 8,225 हजार

(ब) Agile लिमिटेड का बाजार हिस्सा :

गत वर्ष के बाजार हिस्से की गणना = 100% – 63% = 37%

अन्य खिलाड़ियों के बाजार हिस्से में वृद्धि अथवा घटत [0.25 + (.25 × 150%) – 2.5/5] = 0.125% अर्थात् अन्य बाजार हिस्से में वृद्धि 5 वर्षों की अवधि में प्रति वर्ष होगी। अन्य फलस्वरूप, Agile लिमिटेड के बाजार हिस्से में 0.125% 5 वर्षों की अवधि में प्रति वर्ष 37% के वर्तमान स्तर से, द्वारा कमी अपेक्षित है,

© The Institute of Chartered Accountants of India

बाजार दृष्टिकोण के अन्तर्गत ब्रांड मूल्यांकन

वर्ष	बाजार आकार (₹ करोड़ में)	Agile लिमिटेड का बाजार हिस्सा	बाजार हिस्सा (₹ करोड़ में)	अपेक्षित लाभ (₹ करोड़ में)	बट्टा कारक	बट्टाकृत नकद प्रवाह (₹ करोड़ में)
1	7500 × 109% = 8,175	36.875%	3,014.53	@10% = 301.45	0.909	274.02
2	8,175 × 109% = 8910.75	36.75%	3,274.70	@13% = 425.71	0.826	351.64
3	8,910.75 × 109% = 9712.72	36.625 %	3,557.28	@18% = 640.31	0.751	480.87
4	9,712.72 × 109% = 10,586.86	36.5%	3,864.20	@23% = 888.77	0.683	607.03
5	10,586.86 × 109% = 11,539.68	36.375%	4,197.56	@28% = 1,175.32	0.621	729.87
	ब्रांड मूल्य					2,443.43

बाजार उन्मुख दृष्टिकोण के अन्तर्गत Agile लिमिटेड का ब्रांड मूल्य ₹ 2,443.43 करोड़ है।

प्रश्न 6

(अ) फेमस कॉरपोरेशन गत पाँच वर्षों के लिये मूल्य वृद्धि विवरण बना रही है। कम्पनी के मानव संसाधन प्रबंधक ने कर्मचारियों को उनके बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करने के लिए एक मूल्य वृद्धि प्रोत्साहन योजना शुरू करने का सुझाव दिया गया है। योजना को लागू करने के लिए, यह प्रस्ताव है कि सबसे अच्छा सूचकांक प्रदर्शन (नियोक्ता के लिए अनुकूल) अर्थात् गत पाँच वर्षों के लिये मूल्य वृद्धि पर कर्मचारी लागत, को बोनस भुगतान की भविष्य गणना के लिए लक्ष्य सूचकांक के रूप में प्रयोग किया जायेगा।

लक्ष्य सूचकांक निर्धारण के बाद, सूचकांक में कोई वास्तविक सुधार को प्रतिफल माना जायेगा। नियोक्ता तथा कर्मचारी कोई ऐसे सुधार को 1:2 के अनुपात में बाँटा जायेगा। बोनस वर्ष के अन्त में दिया जायेगा, वर्ष के लिये लाभ निर्धारण के बाद।

निम्नलिखित सूचना गत 5 वर्षों के लिये उपलब्ध है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

5 वर्षों के लिए मूल्य वृद्धि विवरण

					₹ हजार में
विवरण	2010	2011	2012	2013	2014
विक्रय	5,600	7,600	9,200	10,400	12,000
घटाये : वस्तुओं व सेवाओं की लागत	2,560	4,000	5,000	5,600	6,400
मूल्य वृद्धि	**3,040**	**3,600**	**4,200**	**4,800**	**5,600**
कर्मचारी लागत	1,300	1,520	1,680	1,968	2,240
लाभांश	200	300	400	480	600
कर	640	760	840	1,000	1,120
मूल्य ह्रास	520	620	720	880	1,120
ऋणपत्र ब्याज	80	80	80	80	80
धारण आय	300	320	480	392	440
मूल्य वृद्धि	**3,040**	**3,600**	**4,200**	**4,800**	**5,600**

31 मार्च 2015 वर्ष अन्त के लिए संक्षेपित लाभ व हानि

		(₹ हजार में)
विवरण		**राशि**
आय		
बिक्री घटाये वापसी	13,600	
लाभाश व ब्याज	500	
अन्य आय	500	14,600
व्यय		
उत्पादन व परिचालन व्यय		
सामग्री की लागत	5,000	
मजदूरी व वेतन	1,800	
अन्य निर्माणी व्यय	1,400	8,200
प्रशासनिक व्यय		
प्रशासनिक वेतन	600	
प्रशासनिक व्यय	600	1,200

© The Institute of Chartered Accountants of India

विक्रय व वितरण व्यय		
विक्रय व वितरण वेतन	120	
विक्रय व्यय	400	520
वित्तीय व्यय		
ऋणपत्र ब्याज		80
मूल्य ह्रास		1,520
कुल व्यय		11,520
कर पूर्व लाभ		3,080
कर के लिए प्रावधान		770
कर के बाद लाभ		2,310

निम्नलिखित सूचना से, 2014-15 वर्ष के लिए मूल्य वृद्धि विवरण तैयार कीजिए तथा कर्मचारियों को देय बोनस की राशि निर्धारित कीजिए, यदि कोई हो।

(ब) सम्पत्ति, संयंत्र व उपकरण के संबंध में लेखांकन मानक (भारत में लागू) तथा IFRS के मध्य मुख्य अन्तर बताइये। (8 + 8 =16 अंक)

उत्तर

(अ) 1. लक्ष्य सूचकांक की गणना

					(₹ हजार में)
वर्ष	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**
कर्मचारी लागत	1,300	1,520	1,680	1,968	2,240
मूल्य वृद्धि	3,040	3,600	4,200	4,800	5,600
मूल्य वृद्धि पर कर्मचारी	42.76%	42.22%	40%	41%	40%

लक्ष्य सूचकांक प्रतिशत उपर्युक्त में से सबसे कम को लिया नियोक्ता का दृष्टिकोण है अर्थात् 40%

2. 2014-15 वर्ष के लिए मूल्य वृद्धि विवरण

	(₹ हजार में)	(₹ हजार में)
बिक्री		13,600
घटाये : वस्तुओं एवं सेवाओं में क्रय की लागत		
उपभोग की गई सामग्री	5,000	
अन्य निर्माणी व्यय	1,400	
प्रशासनिक व्यय	600	

© The Institute of Chartered Accountants of India

बिक्री व्यय	400	(7,400)
		6,200
जोड़े : विविध आय		500
लाभांश एवं ब्याज		500
मूल्य वृद्धि		7,200

3. 2014-15 के लिये कर्मचारी लागत

	(₹ हजार में)
मजदूरी तथा वेतन	1,800
प्रशासनिक वेतन	600
विक्रय तथा वितरण वेतन	120
	2,520

4. लक्ष्य कर्मचारी लागत की गणना = लक्ष्य सूचकांक प्रतिशत × मूल्य वृद्धि

= 40% × ₹ 7,200 हजार

= ₹ 2,880 हजार

5. बचत की गणना

लक्ष्य कर्मचारी लागत = ₹ 2,880 हजार

घटाये : वास्तविक लागत = (₹ 2,520 हजार)

बचत = ₹ 360 हजार

6. 2014-15 वर्ष के लिये देय बोनस की गणना :

बचत का 2/3 देय बोनस = ₹ 360 हजार × 2/3

= ₹ 240 हजार

(ब) सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण

	IFRS	लेखांकन मानक
व्यापक परिभाषा	मूर्त वस्तुएँ जिन्हें उत्पाद के प्रयोग हेतु अथवा माल अथवा सेवाओं की आपूर्ति हेतु अथवा अन्य लोगों को किराए पर उठाने हेतु अथवा प्रशासनिक उद्देश्यों हेतु रोका गया है तथा एक अवधि से अधिक इनका प्रयोग अपेक्षित है।	स्थायी परिसम्पत्ति वह परिसम्पत्ति है जो उत्पादन अथवा माल प्रदान करने अथवा सेवाएँ देने हेतु प्रयोग की मात्रा से रोकी जाती है एवं व्यवसाय की सामान्य स्थिति में बिक्री हेतु नहीं रोकी जाती।

© The Institute of Chartered Accountants of India

लागत का आरम्भिक मापन	आरम्भिक मापन की लागत में निम्नलिखित भी आते है : (क) विदेशी मुद्रा में जायदाद, संयंत्र व उपकरण की खरीद से सम्बन्धित अर्द्ध नकद प्रवाह सीमा की खाते पर लाभ अथवा हानि का उचित मूल्य। (ख) जहाँ जायदाद संयंत्र व उपकरण स्थित है उनकी स्थल पुनर्ग्रहण अथवा मद को हटाने तथा खुलाई की लागत।	अर्द्ध नकद प्रवाह सीमान्ती/अवरोध पर लाभ/हानि एवं खुलाई एवं स्थल पुनर्ग्रहण लागत पर लाभ/हानि के मापन पर कोई विशिष्ट दिशा–निर्देश नहीं।
पूँजीकरण	इसमें घटकीय लेखा अनिवार्य है। संयंत्र के प्रत्येक मुख्य भाग का मूल्य ह्रास अलग-अलग निकाला जाना चाहिए।	ले. मा. 10 के तहत घटकीय लेखा को पूर्णतया अंगीकृत नहीं किया गया है। यह बताया गया है कि परिसम्पत्तियों का लेखांकन, परिसम्पत्ति के विभिन्न भागों की लागत का नियतन करके सुधारा जा सकता है।
मूल्य ह्रास विधि	मूल्य ह्रास विधि में परिवर्तन का प्रयोग उपयोगी टिकाऊपन पर प्रणालीगत तरीके से मूल्य ह्रास योग्य राशि के विनिधान हेतु किया जा सकता है।	या तो SLM अथवा WDV का अनुपालन किया जा सकता है।
मूल्य ह्रास विधि में परिवर्तन	मूल्य ह्रास विधि में परिवर्तन लेखांकन आकलन में परिवर्तन के रूप में माने जाते है। चालू अवधि में आगामी प्रभाव निर्मित होता है।	मूल्य ह्रास विधि में परिवर्तन लेखा नीतियों में परिवर्तन के रूप में किया जाता है और प्रभाव की मात्रा को निश्चित करके उसका खुलासा किया जाता है। मूल्य ह्रास की गणना में पूर्वव्यापी प्रभाव दिया जाता है।
उपयोगी टिकाऊपन एवं अवशिष्ट मूल्य की समीक्षा	कम-से-कम प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में टिकाऊपन एवं अवशिष्ट मूल्य का पुनःमूल्यांकन अपेक्षित है।	ले. मा. 10 इस प्रकार की किसी आवश्यकता को विर्निदष्ट नहीं करता।
आगामी लागतें	बदलने की लागत को पूँजीबद्ध करना चाहिए। बदल गए पूर्जों/भागों से	बदली गई वस्तु की लागत को खर्चे में डालते हैं। बदली गई

© The Institute of Chartered Accountants of India

	आने वाली राशि को फिर से समझना चाहिए।	वस्तु से आने वाली राशि को पूँजी से अलग करने की आवश्यकता नहीं है।
मुख्य निरीक्षण लागत व मरम्मत खर्चे	मुख्य निरीक्षण एवं मरम्मत खर्चों को लागत को पूँजीबद्ध करते हैं।	केवल उन्हीं खर्चों को पूँजीबद्ध किया जाता है जो पूर्व आकलित क्षमता में लाभ वृद्धि दर्ज करते हैं। निरीक्षण लागत व मरम्मत खर्चों को खर्चों में डालते हैं।
पुनर्मूल्यांकन	यदि कोई इकाई पुनर्मूल्यांकन प्रतिदर्श को अंगीकृत करती है तो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि संवाही राशि निर्धारित होने वाली राशि से किसी खास बात पर भिन्न नहीं है, नियमित अवधि पर पुनर्मूल्यांकन आवश्यक है। रिपोर्टिंग अवधि के अन्त में उचित मूल्य का प्रयोग करते हुए ऐसा अपेक्षित है।	पुनर्मूल्यांकन की बारम्बारता पर कोई विशिष्ट आवश्यकता नहीं।
समूहगत पुनर्मूल्यांकन	यदि PPE की कोई वस्तु पुनर्मूल्यांकित होती है, तो PPE का सम्पूर्ण जिससे वह परिसम्पत्ति सम्बन्धित है का पुनर्मूल्यांकन होना चाहिए।	पुनर्मूल्यांकन विधि अपनी प्रकृति में तदर्थ होती है।
पुनर्मूल्यांकन पर मूल्य ह्रास	पुनर्मूल्यांकित भाग पर मूल्य ह्रास, पुनर्मूल्यांकन रिजर्वों से कम नहीं किए जा सकते।	पुनर्मूल्यांकित भाग पर मूल्य ह्रास पुनर्मूल्यांकन रिजर्व से कम नहीं किया जा सकता।

प्रश्न 7

निम्नलिखित में से कोई **चार** के उत्तर दीजिये :

(अ) एबी लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष के शुरू पर यूएसए से US $ 1,25,000 के मूल्य पर स्थायी परिसम्पत्ति अधिग्रहित की तथा US $ 25,000 का तत्काल भुगतान किया। परिवर्तन दर संव्यवहार की तिथि पर 61.50 प्रति डॉलर थी। शेष राशि 4 समान अर्द्धवार्षिक किस्तों में 8% प्रति वर्ष ब्याज के साथ देय थी। किस्त के देय तिथि पर परिवर्तन दर ₹ 61.60; ₹ 61.80; ₹ 61.90 तथा ₹ 62.10 है। सम्पत्ति अधिग्रहण से छः माह की अवधि के दौरान निर्माण के अन्दर था। पूँजीकृत की जाने वाली राशि तथा प्रतिवर्ष लाभ अथवा हानि ज्ञात करें।

© The Institute of Chartered Accountants of India

(ब) एचएस लिमिटेड वस्तुओं का निर्माण करता है तथा राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय बाजार दोनों की आवश्यकताएँ पूरी करता है। 31 मार्च 2015 पर यह फैक्ट्री पर इसके वेयरहाऊस में निम्नलिखित रहतिया है :

वस्तुएँ राष्ट्रीय बाजार के लिये – ₹ 100 लाख का विक्रय मूल्य वस्तुएँ आशायित अन्तर्राष्ट्रीय बाजार के लिये – ₹50 लाख का निर्यात मूल्य कम्पनी एक नीति उत्पाद के मार्क अप के लिये राष्ट्रीय बाजार के लिये लागत का एक–तिहाई पर जबकि वही अन्तर्राष्ट्रीय बाजार के लिये इसकी लागत का 150% पर मार्क अप है। वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क @12.36% देय है। प्रबंधन की राय है कि उत्पाद शुल्क केवल फैक्ट्री से वस्तुओं की निकासी पर देय है तथा ऐसे की रहतिये की लागत की भाग नहीं होगा।

आपसे अपेक्षित है कि सम्बन्धित मार्गदर्शिका टिप्पणी के सम्बन्ध में कम्पनी को मार्गदर्शन दें।

(स) कृष्णा माधव को माधव के निर्यात आदेश के विरुद्ध ₹ 100 करोड़ के लिये वस्तुओं का विक्रय किया। कृष्णा द्वारा विक्रय के बाद, माधव का निर्यात आदेश अपरिहार्य कारणों के लिये रद्द कर दिया था। माधव ने वस्तुओं को स्थानीय बाजार में कृष्णा द्वारा दिये मूल्य बट्टा प्रदान करते हुये विक्रय करना निश्चित किये। कृष्णा ने माधव के निवेदन को मान लिया। सलाह रें कि कृष्णा की खाता पुस्तकों में दिये गये बट्टा से कैसे समझौता करें?

(द) एक कम्पनी रहतिये की अचलायमान या धीमी गति मदों के सम्बन्ध में प्रावधान बनाना चाहती है। निम्नलिखित सूचना उपलब्ध है :

		(₹लाख में)
विवरण	**चालू वर्ष**	**गत वर्ष**
अन्तिम रहतिये का मूल्य	169	105
वर्ष के दौरान मुद्दों की संख्या पर आधारित प्रावधान	4.50	4.00
उत्पाद तकनीकता पर आधारित प्रावाधान	5.50	4.25

कम्पनी मुद्दों की संख्या के आधार पर प्रावधान बनाती है। हालांकि, इस वर्ष से, प्रबंधन ने तकनीकी मूल्यांकन पर आधारित प्रावधान बनाने का निश्चय किया।

समझाइये कि क्या ऐसा परिवर्तन 'लेखांकन नीति' में परिवर्तन माना जायेगा। उचित टिप्पणी भी लिखें, यदि आपकी राय में भावी परिवर्तन चालू वर्ष के वित्तीय विवरण में यही परिवर्तन अपेक्षित है।

(य) लकी पी लिमिटेड आयकर, जिसमें से ₹ 10 लाख की माँग बनाते हुये निर्धारित करती है। कम्पनी याचिका में जाती है। कम्पनी विभाग द्वारा जारी माँग के विरुद्ध ₹ 60 लाख जमा करा चुका है। कम्पनी काउन्सिल द्वारा राय लेती है कि वहाँ एक आधार के सम्बन्ध में हानि का मौका 80% है जो ₹ 4 लाख की माँग की पुष्टि कर सकता है। जब अन्य आधार पर, जहाँ अपील जीतने का उचित मौका है। कम्पनी 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिये अन्तिम खाते तैयार करते समय एक जैसे का उपचार कैसे करेंगे? (4×4=16 अंक)

© The Institute of Chartered Accountants of India

उत्तर

(अ) लेखांकन मानक 16 'उधार लागतें' के अनुसार, एक सम्पत्ति को केवल अर्हक परिसम्पत्ति के रूप में माना जायेगा जब यह अनिवार्य तौर पर इसके उपयोग की मंशा अथवा बिक्री के लिए तत्पर होने के लिए पर्याप्त समय लेती है। सामान्यतया, एक बारह माह की अवधि को पर्याप्त समय माना जायेगा अन्यथा कम अथवा अधिक अवधि मामले की परिस्थितियों तथा तथ्यों के आधार पर हो सकती है। दिये गये मामले में, जहाँ परिसम्पत्ति अधिग्रहण से छः माह की अवधि के लिये निर्माण के अन्तर्गत थी, इसे गैर-अर्हक परिसम्पत्ति माना जायेगा। तद्नुसार उधार लागतों को पूँजीकृत नहीं किया जायेगा।

अतिरिक्त, एक कम्पनी मौद्रिक मदों के भुगतान अथवा उपक्रम के मौद्रिक मदों के प्रतिवेदन पर दर अन्तर से जो वे अवधि के दौरान आरम्भिक प्रतिवेदन, अथवा गत वित्तीय विवरण में प्रतिवेदित अथवा आय अथवा व्यय के रूप में जब वे उत्पन्न हुए की अवधि में मान्य पर विनिमय अन्तर को पूँजीकृत किया जायेगा।

लेखांकन मानक 11 (पूँजीकृत का विकल्प) के प्रावधानों को लागू करते हुए वर्ष में पूँजीकृत राशि निम्न होगी :

उद्देश्य		पूँजीकृत की जाने वाली राशि	लाभ एवं हानि खाते पर प्रभारित ब्याज
आरम्भिक लागत स्थायी सम्पत्ति के अधिग्रहण के समय	US $ 1,25,000 × ₹ 61.50	76,87,500	
1st किस्त के भुगतान पर	US $ 25,000 × ₹ (61.60 – 61.50)	2,500	
1st किस्त के साथ ब्याज देय	(1,00,000 × 8% × 6/12) × 61.60		2,46,400
2nd किस्त का भुगतान पर	US $ 25000 × ₹ (61.80 – 61.50)	7,500	
2nd किस्त के साथ ब्याज देय	(75,000 × 8% × 6/12) × 61.80		1,85,400
दीर्घ अवधि विदेशी मुद्रा के अन्तिम शेष पर विनिमय अन्तर	US $ 50,000 × ₹ (61.80 – 61.50)	15,000	
1 वर्ष के अन्त पर		77,12,500	4,31,800
3rd किस्त के भुगतान पर	US $ 25,000 × ₹ (61.90 – 61.80)	2,500	

© The Institute of Chartered Accountants of India

3rd किस्त के साथ ब्याज देय	(50,000 × 8% × 6/12) × 61.90		1,23,800
4th किस्त के भुगतान पर	US $ 2,50,000 × ₹ (62.10 – 61.80)	7,500	
4th किस्त के साथ ब्याज देय	(25,000 × 8% × 6/12) × 62.10		62,100
2 वर्ष के अन्त पर		10,000	1,85,900

₹ 35,000 (15,000 + 10,000 + 10,000) का विनिमय अन्तर की पूरी राशि को 'स्थायी परिसम्पत्ति खाते' में पूंजीकृत किया जायेगा। यह पूंजीकृत विनिमय अन्तर को सम्पत्ति के उपयोगी जीवनकाल में ह्रासित किया जायेगा।

(ब) केन्द्रीय उत्पाद अधिनियम, 1944 के अनुसार, उत्पाद शुल्क योग्य के उत्पादन अथवा निर्माण पर उत्पाद शुल्क लगता है। केन्द्रीय उत्पाद नियम, 2002 के अनुसार, उत्पाद शुल्क फैक्ट्री स्थान अथवा फैक्ट्री वेयरहाउस से वस्तुओं की निकासी के समय संग्रहित किया जायेगा। उत्पाद शुल्क का दायित्व निर्माण अथवा उत्पादन पर होता है, संग्रहण भाग को निकासी की अवस्था तक स्थानांतरित कर दिया है।

उत्पाद शुल्क के लिये लेखांकन उपचार पर मार्गदर्शिका नोट कहते हैं कि उत्पाद शुल्क भारत में उत्पाद-शुल्क योग्य वस्तुओं के निर्माण अथवा उत्पादन पर एक शुल्क है। मार्गदर्शिका टिप्पणी में समझाया, उत्पाद शुल्क का दायित्व जब निर्माण पूरा हो जाता है उस बिन्दु समय पर उत्पन्न होता है। निर्मित माल पर देय या भुगतान की जाने वाले उत्पाद शुल्क को, इसलिये, रहतिये मूल्यांकन में शामिल किया जायेगा।

अतिरिक्त, मार्गदर्शिका टिप्पणी बताती है कि उत्पाद शुल्क को निर्माणी व्यय के रूप में माना जायेगा तथा अन्य निर्माणी व्यय की तरह रहतिये मूल्यांकन के उद्देश्य के लिये लागत का भाग माना जायेगा, उत्पाद शुल्क को रहतिये का मूल्यांकन करते समय लागत का भाग माना जायेगा।

इसलिये, एचएस लिमिटेड के दिये मामले में, प्रबंधन का तर्क है कि उत्पाद शुल्क वस्तुओं की निकासी पर केवल देय है तथा इसलिये लागत नहीं है, गलत है। स्थानीय विक्रय के लिए वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क विक्रय मूल्य पर 12.36% की दर से प्रदान किया जायेगा। रहतिये का मूल्यांकन ₹ 100 लाख है। वस्तुओं के आशायित निर्यात पर उत्पाद शुल्क के लिये प्रदान किया जायेगा, जब उत्पाद शुल्क के लिये, दायित्व उत्पन्न होता है जब वस्तुओं का निर्माण पूरा हो। हालांकि, यदि यह माना जाये कि शुल्क का भुगतान किये बिना उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं के निर्यात के सम्बन्ध में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, 2002 के नियम 19 में विनिर्दिष्ट सभी शर्तों को एचएस लिमिटेड द्वारा पूरा किया गया है, उत्पाद शुल्क इसके लिये प्रदान नहीं किया जायेगा। फलस्वरूप, उत्पाद शुल्क को निर्माणी व्यय के रूप में माना जायेगा तथा अन्य निर्माणी व्यय की तरह रहतिया मूल्यांकन के लिये लागत के भाग के रूप में माना जायेगा।

© The Institute of Chartered Accountants of India

(स) कृष्णा ₹ 100 करोड़ के लिये माधव को वस्तुओं का विक्रय किया तथा विक्रय को सभी सम्बन्ध में पूरा किया। माधव का निर्णय उसी को घरेलू बाजार में विक्रय कृष्णा द्वारा विक्रय के रूप में अभिलेखित राशि पर कोई प्रभाव नहीं डालती है। माधव के निवेदन पर स्वीकृत मूल्य बट्टा को व्यापार के सामान्य व्यवहार के दौरान दिये बट्टे की प्रकृति का नहीं माना जायेगा क्योंकि अन्यथा एक ही बिक्री के समय ही दिया गया होता।

अब, जहाँ तक कृष्णा से संबंध है, वहाँ प्राप्य में कमी है, जो बाद में उत्पन्न निर्यात अनुक्रम के रद्द करने के परिणामस्वरूप विक्रय में है। फलस्वरूप, इसके लिये एक अलग प्रावधान जो बट्टा को वास्तविक रिकॉर्ड राजस्व की राशि को समायोजित किये बिना प्रकट किया, उचित बनाया जायेगा। फलस्वरूप, ऐसा बट्टा लाभ एवं हानि खाते में प्रकट किया जायेगा तथा विक्रय राशि से घटाते हुये नहीं दिखाया जायेगा।

(द) लेखांकन मानक 5 "अवधि विशेष के शुद्ध लाभ या हानि, पूर्व अवधि की मदें और लेखा नीतियों में परिवर्तन" के अनुसार, व्यावसायिक कार्यों में अंतनिर्हित अनिश्चितताओं के परिणामस्वरूप वित्तीय विवरण की कई मदों का मापन स्पष्टता के साथ नहीं किया जा सकता, उनका केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है। अनुमान उपलब्ध नवीनतम सूचना पर आधारित निर्णयों के अनुसार तैयार किए जाते है। किसी अनुमान को संशोधित किए जाने की आवश्यकता तब हो सकती है, यदि उन परिस्थितियों में परिवर्तन हो जाएं, जिन्हें ध्यान में रखते हुए वह अनुमान तैयार किया गया था, अथवा कोई नई सूचना प्राप्त होने पर या कोई बेहतर अनुभव प्राप्त होने पर या बाद में कोई विकास हो जाने पर भी किसी अनुमान को संशोधित किए जाने की आवश्यकता हो सकती है। तदनुसार, प्रावधान का आधार चाहे 'मामले की संख्या' अथवा 'तकनीकी मूल्यांकन' पर अनुमान बनाने का आधार है।

तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर अचलायमान रहतिये के लिये प्रावधान बनाने का निर्णय लेखांकन नीति में परिवर्तन नहीं है। कम्पनी की लेखांकन नीति आवश्यक करती है कि अचलायमान स्कन्ध के लिये प्रावधान बनाया जाये।

प्रावधान की राशि निर्धारण की विधि विवेकशील अनुमान बनाने की दशा में परिवर्तित हो सकती है। अतिरिक्त, यदि कम्पनी संतोषजनक ढंग से प्रदर्शित करने में समर्थ है कि परिस्थितियों के सम्बन्ध में, मामले के संख्या, पर आधारित प्रावधान के बजाए 'तकनीकी मूल्यांकन' पर आधारित प्रावधान ज्यादा संतुष्टि देता है तब कम्पनी प्रावधान बनाने का आधार परिवर्तित कर सकती है।

दिए गए मामले में रहतिये का कुल मूल्य ध्यान में रखते हुये, अचलायमान धीमी गति रहतिये का अपेक्षित प्रावधान की राशि में परिवर्तन ₹ 4.5 लाख से ₹ 5.5 लाख करना भौतिक नहीं है। निम्नलिखित प्रकटीकरण चालू वर्ष के लिये कम्पनी के वित्तीय विवरण में ऐसे परिवर्तन के लिये बनाया जायेगा।

"कम्पनी ने तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर गत वर्षों में अचलायमान/धीमी गति रहतिये के लिये प्रावधान बनाया। गत वर्ष में लागू विधि में परिवर्तन स्वरूप, वर्ष के लिए लाभ तथा परिणामस्वरूप वर्ष के अन्त पर शुद्ध परिसम्पत्तियाँ ₹ 1 लाख द्वारा अधिक होंगी।"

© The Institute of Chartered Accountants of India

(य) लेखांकन मानक 29 प्रावधान, आकस्मिक दायित्व आकस्मिक परिसंपत्ति तथा के अनुसार, किसी पूर्व योजना को तभी स्वीकार किया जा सकता है जब :

(अ) किसी पिछली घटना के फलस्वरूप किसी प्रतिष्ठान का कोई वर्तमान दायित्व हो;

(ब) बाध्यता को निपटाने के लिए यह प्रसंभाव्य है कि आर्थिक लाभों के साथ संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी; और

(स) बाध्यता की रकम का एक विश्वसनीय अनुमान किया जा सकता है। उक्त शर्तों की पूर्ति न होने पर किसी भी प्रावधान को मान्यता न दी जाए।

हालांकि, जहाँ यह प्रबल संभावना है कि आर्थिक चिट्ठा तिथि पर कोई वर्तमान दायित्व विद्यमान न हो, उपक्रम को संदिग्ध दायित्व प्रकट करना चाहिए।

दिए गए मामले में, यहाँ आयकर विभाग द्वारा ₹ 10 लाख की जारी की माँग का वर्तमान दायित्व है। काउन्सिल द्वारा दी राय के अनुसार ₹ 4 लाख तक संसाधनों का बहिर्वाह दायित्वों को भुगतान करने की अधिक संभावना है जब तक यहाँ एक आधार की हानि की संभावना 80% है। फलस्वरूप ₹ 4 लाख का एक प्रावधान 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिये लेखा पुस्तकों में बनाया जायेगा।

हालांकि, अन्य आधार के सम्बन्ध में, जहाँ अपील जीतने का उचित मौका है। फलस्वरूप शेष ₹ 6,00,000 की राशि के लिये कोई प्रावधान बनाने की आवश्यकता नहीं है तथा इसे कम्पनी की पुस्तकों में आकस्मिक दायित्व के रूप में दर्शायेंगे जब तक 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिये अन्तिम खाते तैयार करते समय दिखायेंगे।

कम्पनी विभाग द्वारा जारी माँग के विरुद्ध ₹ 6 लाख का भुगतान किया लेकिन केवल ₹ 4 लाख का एक प्रावधान बनाया। फलस्वरूप, यह परिणामस्वरूप वापसी पाना अपेक्षित है। जब तक मामले को अन्तिम समाधान हो, 'आयकर माँग के विरुद्ध, ₹ 6 लाख का भुगतान 'गैर चालू/चालू ऋण तथा अग्रिम' शीर्षक के अन्तर्गत तथा 'कर के लिये प्रावधान को 'दीर्घ/अल्पकालीन प्रावधान', शीर्षक के अन्तर्गत, समाधान को अनुमानित तिथि पर आधारित दर्शाया जायेगा।

© The Institute of Chartered Accountants of India